आरटीए / जारीकर्ता कंपनी का नाम और पता

नाम: दिनांक :
पता:

महोदय / महोदया,

पुष्टिकरण पत्र

विषय: निवेशक सेवा अनुरोध के मामले में डीमैट रूप में प्रतिभूतियां जारी करना

कंपनी का नाम:
हम आपके नाम पर प्रतिभूतियां जारी करने के लिए आपसे प्राप्त अनुरोध का उल्लेख करते हैं। हम आपको सूचित करते हैं कि अनुरोध को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार स्वीकृत किया गया है:

प्रथम धारक एवं पैन का नाम संयुक्त धारक 1 एवं पैन संयुक्त धारक 2 एवं पैन	
प्रतिभूतियों की संख्या	
फोलियो संख्या	
प्रमाण पत्र संख्या	
विशिष्ट संख्या	
लॉक-इन	हां अथवा नहीं यदि हां, तो ___/___/______ से ___/_____/____ तक लॉक-इन (दिन/माह/वर्ष)

जैसा कि आप जानते हैं कि सेबी ने दिनांक 24 जनवरी, 2022 के राजपत्र अधिसूचना संख्या सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2022/66 के माध्यम से अनिवार्य किया है कि निवेशक सेवा अनुरोध के अनुसार जारी की जाने वाली प्रतिभूतियां अब से केवल डीमैट मोड में जारी की जाएंगी और इसलिए प्रतिभूति प्रमाण पत्र (जहां कहीं भी लागू हो) हमारी ओर से प्रतिधारित किए जाते हैं।

तदनुसार, इस पत्र के 120 दिनों के अंदर कृपया अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट (**डीपी**) से इन प्रतिभूतियों को डीमैटरियलाइजेशन रिक्वेस्ट फॉर्म (**डीआरएफ) का उपयोग करके** डीमैट करने का अनुरोध करें। कृपया इस पत्र में वर्णित विवरण के साथ डीआरएफ भरें, इस पर हस्ताक्षर करें और अपने डीपी को डीमैट अनुरोध संख्या (डीआरएन) जुटाने में सक्षम बनाने के लिए डीआरएफ के साथ इस पत्र को मूल रूप से अपने डीपी को प्रस्तुत करें। यदि आपके पास डीमैट खाता नहीं है, तो कृपया किसी भी डीपी के साथ एक खाता खोलें। कृपया ध्यान दें कि आप न्यूनतम/शून्य शुल्क पर बेसिक सर्विस डीमैट खाता खोल सकते हैं।

कृपया ध्यान दें कि यह पत्र इसके जारी होने की तिथि से **केवल 120 दिनों की अवधि के लिए वैध है, जिसमें आपको** उपर्युक्तानुसार डीपी के साथ डीमैट अनुरोध करना होगा। उपर्युक्त 120 दिनों की समाप्ति के बाद डीमैट को संसाधित करने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा और सेबी द्वारा जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, विषय प्रतिभूतियों को कंपनी के एक सस्पेंस एस्क्रो डीमैट खाते में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

धन्यवाद,

भवदीय,

कृते एबीसीडी लिमिटेड (आरटीए)
प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता